

कश्मीर पर यूएन रपिर्स्ट वविादति क्यौं?

संदर्भ

हाल ही में पाकस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर पर मानवाधिकारों के संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त (UN High Commissioner for Human rights-OHCHR) के कार्यालय द्वारा एक रपिर्स्ट प्रकाशित की गई, जिसमें 'जून 2016 से अप्रैल 2018' तक भारतीय राज्य जम्मू-कश्मीर में घटनाक्रम और आज़ाद जम्मू-कश्मीर तथा गलिलगति-बाल्टस्तान में मानवाधिकार से जुड़ी आम चर्चाएँ विषय को शामिल किया गया। हिसा की एक नई लहर ने कश्मीर घाटी पर उस समय हमला किया था, जब हजिबुल मुजाहदीन के आतंकवादी बुरहान वानी की हत्या के विरोध में प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा बलों द्वारा बल प्रयोग किया गया था। उसके बाद के महीनों में करीब 51 प्रदर्शनकारियों और नागरिकों की मौत हो गई, जबकि हथगोलों और गोलियों से 9,000 से ज्यादा लोग घायल हुए। नतीजतन, OHCHR ने भारत और पाकस्तान से अपनी टीमों को वहाँ पहुँचने की अनुमति देने के लिये अनुरोध किया जैसा अस्वीकार कर दिया गया था।

यह रपिर्स्ट भारत के लिये वविादास्पद क्यौं है?

- रपिर्स्ट में कथित हत्याओं तथा विरोध प्रदर्शनों की आलोचना से परेशान विदेश मंत्रालय मलिटिटों का वर्णन करने के लिये उपयोग की जाने वाली शब्दावली से भी परेशान है।
- उदाहरण के लिये हजिबुल मुजाहदीन, जैसा भारत द्वारा एक आतंकवादी संगठन के रूप में जाना जाता है, को रपिर्स्ट में "सशस्त्र समूह" के रूप में वर्णित किया गया है।
- भारतीय सुरक्षा बलों द्वारा आतंकवादी माना जाने वाला वानी को संगठन के "नेता" के रूप में वर्णित किया गया है।
- भारत ने अपने आधिकारिक बयान में कहा कि रपिर्स्ट "आतंकवाद के लिये शून्य सहनशीलता पर संयुक्त राष्ट्र की अगुवाई वाली सर्वसम्मति को कमजोर करती है"।
- भारत ने सशस्त्र बल (जम्मू-कश्मीर) विशेषाधिकार कानून, 1990 को तुरंत नरिस्त करने और मानवाधिकार उल्लंघन के आरोपी सुरक्षा बलों के खिलाफ अदालतों में मुकदमा चलाने के लिये केंद्र सरकार से पूर्व अनुमति की बाध्यता को भी हटाने की सफारिश की है।
- हालाँकि भारत ने अपने तात्कालिक प्रतिक्रिया में इस रपिर्स्ट को 'भ्रामक', 'वविादास्पद' और 'दुर्भावना से प्रेरित' बताया है। विदेश मंत्रालय ने इसे अपने 'आंतरिक मामलों में दखलंदाजी' और भारत की 'प्रभुसत्ता का उल्लंघन' भी करार दिया है।
- प्रत्यक्ष साक्षात्कार की अनुपस्थिति में OHCHR ने स्थानीय स्रोतों से रपिर्स्ट तैयार करने के लिये "रिमोट मॉनिटरिंग" का इस्तेमाल किया।

क्या रपिर्स्ट का राजनीतिक या राजनयिक नहितार्थ है जो लंबे समय तक भारत को चोट पहुँचा सकता है?

- भारत ने कहा है कि रपिर्स्ट "संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता" का उल्लंघन करती है क्योंकि इसमें पाकस्तानी नियंत्रण के तहत राज्य के हिससे का वर्णन करने के लिये "आज़ाद जम्मू-कश्मीर" और "गलिलगति बाल्टस्तान" जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया है।
- भारत कश्मीर के एक हिससे पर पाकस्तान के नियंत्रण को वैध नहीं मानता है और इस क्षेत्र का वर्णन पाकस्तान अधिगृहीत कश्मीर के रूप में करता है।
- दशकों बाद पाकस्तान ने 27 मई, 2018 को भारत के सख्त विरोध के बावजूद गलिलगति-बाल्टस्तान क्षेत्र को अपने संघीय ढाँचे में एकीकृत किया।
- रपिर्स्ट में ऐसी शब्दावली का उपयोग करने के लिये OHCHR के नरिणय को इन क्षेत्रों को पाकस्तान के हिससे के रूप में मान्यता दिये जाने के संकेत के रूप में माना जा सकता है।

क्या रपिर्स्ट विशेष रूप से भारत पर केंद्रित है और पाकस्तान का बचाव करती है?

- यद्यपि रपिर्स्ट का प्राथमिक ध्यान जम्मू-कश्मीर में बगिड़ती मानवाधिकार की स्थिति पर है, इसमें पाकस्तान अधिकृत कश्मीर (POK) की जनता के साथ बातचीत में पाकस्तानी सुरक्षा बलों के अतिक्रमण पर भी बात की गई है।

भारत ने रपिर्स्ट पर इतनी दृढ़ता से प्रतिक्रिया क्यौं दी?

- भारत की प्रतिक्रिया को शायद इस तथ्य से समझा जा सकता है कि रपिर्स्ट कश्मीर मुद्दे के अंतिम राजनीतिक समाधान को संदर्भित करती है ताकि दोनों पक्ष, भारत और पाकस्तान नरिंतर मानवाधिकारों के दुरुपयोग से बच सकें।

